संख्या-49/2018/3660/60-2-18-2/1(151)2018

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बहराइच/चित्रकूट/चन्दौली/फतेहपुर/सिद्धार्थनगर/सोनभद्र/बलरामपुर/
श्रावस्ती/सीतापुर एवं गोण्डा।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2018

विषय : प्रदेश में गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों हेतु "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश में 6% बच्चे गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित (SAM) हैं। ऐसे बच्चे, जिनका MUAC टेप के अनुसार बाएं हाथ की ऊपरी भुजा के मध्य भाग की माप 11.5 सेन्टीमीटर से कम होती है या लम्बाई के अनुसार वजन-3SD से कम होता है अथवा ऐडिमा (पैरो में सूजन) होता है, गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित (सैम बच्चे) कहलाते हैं। प्रदेश में 0-5 वर्ष के बच्चों में अति गम्भीर कुपोषण एक वृहद समस्या है। सैम बच्चों में मृत्यु की सम्भावना सामान्य बच्चों से 09 गुना अधिक होती है। ऐसे बच्चों के कुपोषण की स्थिति के दृष्टिगत उन्हें जनपद मुख्यालय स्थित पोषण पुर्नवास केन्द्र भेजा जाता रहा है। प्रायः देखा गया है कि सैम बच्चों के माता-पिता बच्चे के कुपोषण में सुधार हेतु उन्हें जनपद मुख्यालय भेजे जाने में विभिन्न पारिवारिक एवं आर्थिक कारणों से रूचि नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि सैम बच्चों के पोषण में सुधार हेतु उन्हें ब्लाक स्तर पर ही सुविधाएं दी जायें।

2- उक्त के दृष्टिगत आपके जनपद में निम्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" का संचालन पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनवरी, 2019 से मार्च, 2020 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	जनपद का नाम	ब्लाक का नाम, जहाँ मुख्यमंत्री सुपोषण घर संचालित किया जाना है	समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थान
1	गोण्डा	कर्नलगंज	कर्नलगंज
		मनकापुर	मनकापुर
2	बलरामपुर	गैसड़ी	गैसड़ी
		उतरौला	उतरौला
3	श्रावस्ती	सिरसिया	सिरसिया
4	चन्दौली	धानापुर	धानापुर
5	फतेहपुर	अमौली	अमौली
6	चित्रकूट	मानिकपुर	मानिकपुर
		रामनगर	रामनगर
7	सिद्धार्थनगर	मिठवल	मिठवल
		इटवा	इटवा
		बर्डपुर	बर्डपुर
8	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी
9	सीतापुर	बिसवां	बिसवां

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज
		जरवल	मुस्तफाबाद
		फखरपुर	फखरपुर
		तेजवापुर	रमपुरवा
		महसी	महसी
		शिवपुर	खैरीघाट
		मिहीपुरवा	मिहीपुरवा
		नवाबगंज (बाबागंज)	चर्दा
		बलहा	नानपारा
		रिसिया	रिसिया
		चित्तौरा	चित्तौरा
		पयागपुर	पयागपुर
		विशेश्वरगंज	विशेश्वरगंज
		हुजूरपुर	चिरैया टांड

उपरिलिखित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले कुल 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 06 बेड का एक कक्ष बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- योजना के उद्देश्य-

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों की देख -भाल हेतु प्रत्येक जनपद पर पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये हैं, जहां पर इनकी देख-भाल व इलाज किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 76 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उन्हीं ब्लाक/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहां इस हेतु एक कमरा स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बाल विकास विभाग द्वारा 06 बेड उपलब्ध कराए जायेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

1) "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" ब्लाक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर स्थापित किया जायेगा। इसके द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के माध्यम से डिस्चार्ज के उपरान्त फॉलोअप भी सुदृढ किया जायेगा।
2) "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" मातृ व शिशु पोषण एवं देख-भाल सम्बन्धी परामर्श केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा।
3) "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में पोषण परामर्शदाता की उपलब्धता से पोषण संबंधी विभिन्न पहलू सुदृढ़ होंगें यथा- लेबर रूम में स्तनपान प्रबन्धन, जन्म के समय अल्प वजन वाले बच्चों की पोषण सम्बन्धी देखभाल, स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के समय महिला को आवश्यक परामर्श तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी।

4- योजना में विभिन्न विभागों से समन्वय

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका-

- ब्लाक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" का संचालन किया जायेगा। सुपोषण घर पर बच्चों का मेडिकल प्रबन्धन मेडिकल ऑफीसर द्वारा किया जाएगा।
- 06 बेड वाले "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु मेडिकल आफीसर को रू0 3,000/- प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
- बाल विकास विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से तैनात पोषण परामर्शदाता व स्टॉफ नर्स स्वास्थ्य विभाग के ब्लाक के मेडिकल आफीसर की देख-रेख में फैसीलिटी मैनेजमेन्ट ऑफ सैम (SAM) गाइड-लाइन्स के अनुसार बच्चों को आवश्यक आहार व इलाज प्रदान करेंगे।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की भूमिका-

- "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु पोषण परामर्शदाता, स्टाफ नर्स व कुक कम केयर टेकर की उपलब्धता बाल विकास विभाग द्वारा करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

- बाल विकास विभाग द्वरा आउटसोर्सिंग से तैनात पोषण परामर्शदाता व स्टॉफ नर्स फैसीलिटी मैनेजमेन्ट ऑफ SAM गाइड-लाइन्स के अनुसार बच्चों को आवश्यक आहार व इलाज प्रदान करेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्र से "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" को सन्दर्भित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को रू0 50/- प्रति लाभार्थी दिया जायेगा। प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रतिमाह दो बच्चों के सन्दर्भन के अनुमान के अनुसार इस हेतु एक केन्द्र पर एक माह में रू0 600/- का व्यय सम्भावित है। 28 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" पर रू0 16,800/- प्रतिमाह का व्यय अनुमानित है।
- डिस्चार्ज के उपरान्त प्रत्येक 15 दिन पर 4 फालो-अप हेतु बच्चे को "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में आना होगा। इसके लिए मुख्य सेविका को रू0 200/- प्रति बच्चा दिया जाएगा, यदि वह उक्तानुसार 4 फालो-अप सुनिश्चित करें।
- मुख्य सेविका द्वारा प्रतिमाह 5 से 7 आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जायेगा। इस प्रकार चयनित प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मुख्य सेविका 4 बार भ्रमण करेगी। इस प्रकार मुख्य सेविका 20 या उससे अधिक दिन क्षेत्र भ्रमण करेगी। इस दौरान मुख्य सेविका, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्री से चर्चा करेगी। गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित व मध्यम तीव्र अति-कुपोषित बच्चों की माताओं/अभिभावकों के साथ समूह बैठक करेगी तथा पिछले 06 माह में "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" से डिस्चार्ज हुये बच्चों के घर भ्रमण करेंगी एवं उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करेगी। प्रतिमाह कम से कम 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पर्यवेक्षण के साथ उपर्युक्त गतिविधियां करने पर मुख्य सेविका को प्रतिमाह रू0 400/- प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रत्येक मंगलवार "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" का भ्रमण करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शनिवार 02 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" का भ्रमण करेंगे तथा इन्चार्ज मेडिकल ऑफीसर के साथ सुपोषण घर के सुचारू संचालन हेतु विचार-विमर्श करते हुए आवश्यक कार्य करायेंगे।

5- मुख्यमंत्री सुपोषण घर का प्रबन्धन

ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी मेडिकल ऑफीसर की देखरेख में "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" का संचालन किया जाएगा।

6- लाभार्थी-सेवाऐं दिये जाने की प्रक्रिया

1. "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में संदर्भन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा निम्न प्रकार से बच्चों का चिन्हांकन किया जायेगा:-
    - 06 माह से 05 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी केन्द्र पर अति-कुपोषित की श्रेणी में पूर्व से पंजीकृत होंगे।
    - 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चे, जिनका चिन्हांकन वी0एच0एस0एन0डी0 दिवस पर किया जायेगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री बच्चों का वजन लेकर अल्प वजन व गम्भीर अल्प वजन का चिन्हांकन करेगी तथा आशा व ए0एन0एम0 इन बच्चों का MUAC टेप द्वारा जांच के आधार पर गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करेंगी।

2. तदोपरान्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-
    - स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक शनिवार को हर ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में RBSK की टीम द्वारा बीमार बच्चों की जांच की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ए0एन0एम0/आशा द्वारा सन्दर्भित गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों का ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर शनिवार को पुनः आंकलन किया जाएगा।
    - जिन बच्चों को गंभीर मेडिकल जटिलता होगी, उन्हें जिला अस्पताल के लिए सन्दर्भित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- पात्र गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों को "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में 14 दिनों के लिए इलाज व देखभाल हेतु रखा जाएगा। इस दौरान गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित बच्चों की एन0आर0सी0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही इलाज व देख-भाल की जायेगी। बच्चे के सुपोषण घर में प्रवास के दौरान माता/अभिभावक को आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आहार व देख-भाल सम्बन्धी परामर्श दिया जायेगा तथा समुदाय में उपलब्ध खाद्य पदार्थों को उचित ढंग से बनाने का प्रदर्शन किया जायेगा। 14 दिनों की देखभाल के उपरान्त बच्चे को "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" से डिस्चार्ज किया जायेगा। डिस्चार्ज के उपरान्त प्रत्येक 15 दिन पर 4 फालो-अप हेतु बच्चे को "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में आना होगा।
- जो बच्चे 14 दिनों के इलाज के दौरान नॉन-रिस्पांडर होंगे अर्थात् "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में सुधार नहीं कर पाएंगे, उन्हें जिला अस्पताल के लिए सन्दर्भित किया जाएगा।

7- प्रशिक्षण

"मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, पोषण परामर्शदाता, बाल विकास परियेजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य सेविका आदि को आवश्यक प्रशिक्षण यूनिसेफ के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिया जायेगा।

8- मानव संसाधन, चिकित्सकीय लागत एवं आंगनबाड़ी इन्सेन्टिव -

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनवरी, 2019 से मार्च, 2020 तक की पायलट प्रोजेक्ट अवधि के लिए प्रति "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" आवश्यक मानव संसाधन एवं उन पर निम्नवत् व्यय किया जायेगा :-

क्र0सं0	मानव संसाधन	संख्या प्रति सुपोषण घर	प्रति मानव संसाधन वेतन दर (रु0)	प्रोत्साहन/ दुर्गम क्षेत्र राशि (रु0) प्रतिमाह	प्रतिमाह अनुमानित व्यय (रु0)	28 सुपोषण घरों हेतु प्रति माह अनुमानित व्यय (रु0)	15 माह (जनवरी, 19 से मार्च, 20) हेतु अनुमानित कुल व्यय (रु0)
1	पोषण परामर्शदाता	01	16,500/-	4,200/-	20,700/-	5,79,600/-	86,94,000/-
2	स्टाफ नर्स	03	18,150/-	4,200/-	67,050/-	18,77,400/-	2,81,61,000/-
3	कुक कम केयर टेकर	02	8,000/-	-	16,000/-	4,48,000/-	67,20,000/-
4	क्लीनर	01	7,500/-	-	7,500/-	2,10,000/-	31,50,000/-
5	मेडिकल ऑफिसर	01	-	3,000/-	3,000/-	84,000/-	12,60,000/-
6	मुख्य सेविका			200/- प्रति बच्चा दो माह तक फॉलो- अप के लिए	2,400/- (दो माह के फॉलो-अप के लिए)	6,72,000/- (एक त्रैमास में संभावित व्यय)	40,32,000/- (कुल 06 त्रैमासों हेतु संभावित व्यय)
		एक ब्लॉक की औसत 06 मुख्य सेविकायें		400/- प्रति मुख्य सेविका पर्यवेक्षण एवं सैम व मैम बच्चों के गृह भ्रमण हेतु	प्रतिमाह 2400/-	67,200/-	10,08,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री	12 बच्चे /प्रतिमाह प्रति मुख्यमंत्री सुपोषण घर		50/- प्रति बच्चा	600/- (अधिकतम 12 बच्चों हेतु)	16,800/-	2,52,000/-
	योग						5,32,77,000/-
						अर्थात्	**532.77 लाख**

9- कक्ष संसाधन लागत-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त सन्दर्भित प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" की स्थापना हेतु रू0 2.47 लाख का एकमुश्त व्यय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के कक्षों को एन0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप वार्ड, रसोइंर् घर एवं शौचालय बनाने हेतु आवश्यक मरम्मत आदि, स्टाफ हेतु आवश्यक फर्नीचर आदि, वार्ड एवं रसोई घर हेतु आवश्यक उपकरण, बेड, रेफ्रीजरेटर, साइड टेबल, फर्नीशिंग आदि पर सम्भावित है। इस प्रकार 28 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" को तैयार करने पर रु0 34.58 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

जनपद बहराइच के 14 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" हेतु जिलाधिकारी, बहराइच के पत्र के अनुसार जनपद के 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक हाल आरक्षित कर 6 बेड की व्यवस्था की गयी है, जिसमें टी0वी0, दीवाल पर पेन्टिंग, विभिन्न प्रकार चित्र व कार्टून, पर्याप्त खिलौने तथा खेल स्थान की व्यवस्था की गयी है। जनपद बहराइच के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त 14 कक्षों हेतु पृथक वर्क स्टेशन, किचेन, बाथरूम, किचन उपकरण आदि नहीं है। अतः बहराइच के 14 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में उक्त की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रति "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" रू0 1,75,000/- की दर से कुल रू0 24,50,000/- की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 28 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" हेतु कुल रू0 59.08 लाख का एकमुश्त कक्ष संसाधन व्यय प्रस्तावित है।

10- संचालन व्यय (भोजन एवं अन्य पर मासिक लागत) -

"मुख्यमंत्री सुपोषण घर" हेतु निम्न प्रकार से धनराशि स्वीकृत की जायेगी :-

- "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु ट्रीटमेन्ट तथा अन्य मद में प्रति बच्चे पर सम्भावित लागत रू0 3,010/- प्रतिमाह प्रति "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" पर व्यय होगा। इस प्रकार 12 सैम बच्चों हेतु प्रति "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" प्रति माह रु0 36,120/- का व्यय भार आंकलित होता है। इस लागत के अन्तर्गत माता/अभिभावक को सुपोषण घर लाने के लिए प्रवेश के समय रू0 100/- तथा डिस्चार्ज के समय रू0 100/- की धनराशि देना तथा "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" में 14 दिनों के निवास के दौरान माता/अभिभावक को रू0 50/- प्रतिदिन भोजन हेतु तथा रू0 50/- प्रतिदिन पारिश्रमिक हानि प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।
- "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु उपकरणों की मरम्मत पर प्रतिमाह रु0 1500/- एवं अभिलेखों के रख-रखाव, साबुन, लांड्री आदि पर प्रतिमाह रु0 1500/- को उपर्युक्त आंकलित लागत में सम्मिलित करने पर प्रति "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" प्रति माह रु0 39,120/- जिलाधिकारी के निर्वतन पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जो मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत किये जायेंगे।
- दवायें तथा सूक्ष्म पोषण तत्वों की पूर्ति उपलब्ध सरकारी स्टॉक द्वारा की जायेगी। सैम बच्चों के परिवहन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत 102/108 वाहन का प्रयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त वित्तीय उपाशय के अनुसार 28 "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के संचालन हेतु प्रस्तावित व्यय का कुल आंकलन निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मद	अनुमानित व्यय (रु0 लाख)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	मानव संसाधन	532.77
2	सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के कक्षों को "मुख्यमंत्री सुपोषण घर" के रूप में तैयार किया जाना आदि - कक्ष संसाधन	59.08
3	संचालन	164.30
	योग	**756.15**

11- फण्ड फ्लो-

फॉलो-अप हेतु मुख्य सेविका को रू0 200/- प्रति बच्चा, मुख्य सेविका द्वारा पर्यवेक्षण एवं गम्भीर तीव्र अति-कुपोषित व मध्यम तीव्र अति-कुपोषित बच्चों के गृह भ्रमण आदि हेतु मुख्य सेविका को प्रति माह रू0 400/- प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली धनराशि तथा चयनित ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/एफ0आर0यू0 के इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसर को प्रोत्साहन राशि मासिक आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उनके खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा मासिक वेतन अन्य सम्बन्धित कर्मी के बैंक खाते में एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जायेगा तथा लाभार्थी का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लाभार्थी के अथवा माता/पिता के बैंक खाते में किया जायेगा। व्यय धनराशि का विवरण त्रैमासिक आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य पोषण मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री सुपोषण घरों की शीघ्र स्थापना एवं प्रभावी संचालन हेतु कृपया अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा सतत् समीक्षा एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-49/2018/3660(1)/60-2-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2) महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
3) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4) मण्डलायुक्त, लखनऊ/इलाहाबाद/बस्ती/देवीपाटन/मीरजापुर/चित्रकूट।
5) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
6) निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
7) अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उत्तर प्रदेश।
8) संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश/सी0ई0ओ0, पोषण मिशन।
9) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10) संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in